P-1080

Total Pages: 4 Roll No.

CRTI-102/DRTI-102

Application of Right to Information

Certificate/Diploma in Right to Information (CRTI/DRTI)

Ist Semester Examination, 2023 (June)

Time: 2 Hours] Max. Marks: 100

Note: This paper is of Hundred (100) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein. Candidates should limit their answer to the questions on the given answer sheet. No additional (B) answer sheet will be issued.

नोट: यह प्रश्नपत्र सौ (100) अंकों का है जो दो (02) खण्डों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त (बी) उत्तर पुस्तिका जारी नहीं की जायेगी।

SECTION-A/(खण्ड-क)

(Long Answer Type Questions)/(दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note: Section 'A' contains Five (05) long answer type questions of Twenty six (26) marks each. Learners are required to answer any Two (02) questions only.

 $(2 \times 26 = 52)$

नोट: खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए छब्बीस (26) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss the composition, powers and functions of central information commission.

केन्द्रीय सूचना आयोग की संरचना, शक्तियों और कार्यों पर चर्चा करें।

2. What is the bar on jurisdiction of courts under the Right to information Act?

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर क्या रोक है?

3. Describe the procedure for action by the commission in case of the complaint made under the Act.

अधिनियम के तहत की गई शिकायत के मामले में आयोग द्वारा कार्यवाई की प्रक्रिया का वर्णन करें। **4.** What do you understand by personal information? Is it a ground of exemption for disclosure under the Right to Information Act? Explain.

व्यक्तिगत जानकारी से आप क्या समझते हैं? क्या यह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के लिए छूट का आधार है? समझाइए।

5. Explain the powers of information commission to impose penalties under section 20 RTI Act, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत दंड लगाने की सूचना आयोग की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए।

SECTION-B/(खण्ड-ख)

(Short Answer Type Questions)/(लघु उत्तरों वाले प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Eight (08) short answer type questions of Twelve (12) marks each. Learners are required to answer any Four (04) questions only.

 $(4 \times 12 = 48)$

- नोट: खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बारह (12) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
- **1.** What is the time limit of filing second appeal before the central/state information commission?

केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने की समय सीमा क्या है?

- **2.** What are the functions of assistant public information officer? सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्य क्या हैं?
- **3.** How sections 8 and 9 do not affect the promotion of right to information?

धारा 8 और 9 सूचना के अधिकार के प्रचार को कैसे प्रभावित नहीं करते हैं?

4. What are the provisions under Section 6 of the right to information Act, 2005?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- 5. Explain the 'Doctrine of Severability' under RTI Act. आरटीआई अधिनियम के तहत 'पृथक्करण का सिद्धान्त' स्पष्ट कीजिए।
- **6.** Explain the main objectives and provisions of the Right to Information Act, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्यों और प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए।

7. What steps can be taken to strengthen the implementation of the Right to information Act? Explain.

सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? समझाइए।

8. How a 'central information commissioner' can be removed from his post ? Explain.

एक 'केद्रीय सूचना आयुक्त' को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? समझाएं।